

राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांक: एफ १ (१२) परि/स्था/९९/ ३०३०।

जयपुर दिनांक:- १३/८/१३

अधिसूचना

आदेश क्रमांक एफ १ (२९) परि/स्था/९९/पार्ट/२४४८६-५०१ दिनांक १०.०५. २०१३ के द्वारा परिवहन विभाग में शाहपुरा- भीलवाड़ा, शाहपुरा-जयपुर, दूदू-जयपुर, नोखा-बीकानेर, भीनमाल-जालौर, नौहर- हनुमानगढ़, केकड़ी- अजमेर में स्थित उप जिला परिवहन कार्यालयों को जिला परिवहन कार्यालय में क्रमोन्नत करने की स्वीकृति जारी की गई है। उक्त जिला परिवहन कार्यालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण निम्नानुसार किया जाता है :-

क्र.सं.	कार्यालय का नाम	जिला परिवहन कार्यालय की सीमाएं
१.	जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा (भीलवाड़ा)	बनेड़ा, जहाजपुर, शाहपुरा, कोटड़ी, फुलियाकला एवं हुरड़ा तहसील क्षेत्र
२.	जिला परिवहन कार्यालय, शाहपुरा (जयपुर)	शाहपुरा, मनोहरपुर, अमरसर, विराटनगर एवं चन्दवाजी थाना क्षेत्र
३.	जिला परिवहन कार्यालय, दूदू (जयपुर)	दूदू, फागी, नरेना, सांभरलेक, फुलेरा एवं जोबनेर थाना क्षेत्र
४.	जिला परिवहन कार्यालय, नोखा (बीकानेर)	नोखा तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र
५.	जिला परिवहन कार्यालय, भीनमाल (जालौर)	१. उपखण्ड- सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा २. तहसील - चितलवाना, सांचौर, रानीवाड़ा, भीनमाल, बागोड़ा एवं जसवन्तपुरा का क्षेत्र
६.	जिला परिवहन कार्यालय, नौहर (हनुमानगढ़)	नौहर, भादरा एवं रावतसर तहसील का सम्पूर्ण क्षेत्र
७.	जिला परिवहन कार्यालय, केकड़ी (अजमेर)	उपखण्ड- केकड़ी एवं सरवाड़

राज्यपाल के आदेश से,

१३/८/१३
(पवन अरोड़ा)
शासन उप सचिव (मु०)

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है—
क्रमांक एक 1 (12) परि /स्था/ 99/ ३०३०। जयपुर दिनांक:- १३/८/१३

1. अधीक्षक, राजकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर कृपया यह अधिसूचना राजपत्र के असाधारण अंक दिनांक १३/८/१३ में प्रकाशित कर अधिसूचना की 10 प्रतियाँ इस विभाग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय परिवहन राज्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. सचिव, भूतल परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
4. महानिदेशक पुलिस, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं अतिरिक्त मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
6. महालेखाकार, राजस्थान, जयपुर।
7. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर।
8. समस्त सम्बागीय आयुक्त।
9. समस्त जिला कलेक्टर।
10. अध्यक्ष, राज्य परिवहन प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
11. सदस्य, प्रादेशिक प्राधिकरण, राजस्थान, जयपुर।
12. सदस्य, राजस्थान राज्य परिवहन अपीलेट अधिकरण, जयपुर।
13. समस्त अधिकारीगण, मुख्यालय, राजस्थान, जयपुर।
14. समस्त प्रादेशिक /अतिरिक्त प्रादेशिक/ जिला परिवहन अधिकारी।
15. निदेशक, जनसम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया इसकी प्रेस विज्ञप्ति जारी करने का कष्ट करें।
16. श्री संजय सिंघल, एसीपी. को विभागीय वेबसाईट पर अपडेट करने हेतु सूचनार्थ प्रेषित है।
17. संक्षिप्त पत्रावली।

१३/८/१३
(पवन अरोड़ा)
शासन उप सचिव (मु०)